"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2026 — फाल्गुन 15, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2026

अधिसूचना

File No. PLGMJ-2201/2/2025-GAD-1.— राज्य शासन, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 3–5/2023/1/एक, दिनांक 20–08–2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम, के नियम–चार के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अपने प्रत्येक मंत्री के प्रभार में उनके नाम के सामने दिये गये विभाग और/या विभाग की कार्य–सूची के विषय सौंपते हैं:–

स.क्र.	मंत्री का नाम	सौंपे गए विभाग और/या विभाग की कार्य–सूची के विषय
(1)	(2)	(3)
1	श्री लखनलाल देवागन	वाणिज्य और उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी), श्रम
2	श्री श्याम बिहारी जायसवाल	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास
3	श्री ओ.पी. चौधरी	वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन

2. शेष मंत्रियों के प्रभार यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.